## संसद में आईएलआर

यहां, 31.01.2024 से 10.02.2024 तक आयोजित संसद के बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में उठाए गए और चर्चा किए गए और भारत की संसद की वेबसाइट (लोकसभा और राज्यसभा) पर पेश किए गए आईएलआर मुद्दों को हमारे पाठकों/हितधारकों की जानकारी के लिए शामिल किया गया है।

### लोक सभा

**1.1 क्या सरकार देश में विशेषकर बिहार में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या नदियों को आपस में जोड़ने की पूर्व योजनाओं में किन्हीं कमियों की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है। नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का विवरण। क्या यह सच है कि एक तरफ उत्तरी बिहार क्षेत्र हर साल विनाशकारी बाढ़ से तबाह हो जाता है और दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार क्षेत्र सूखे का सामना करने के लिए मजबूर हो जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और नदियों को आपस में जोड़ने में देरी के कारण आसन्न तबाही को रोकने की दिशा में अब तक क्या ठोस प्रयास किए जा रहे हैं और क्या बिहार को अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?**

जल अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल के अंतर बेसिन अंतरण के माध्यम से जल संसाधन विकास के लिए वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई थी। एनपीपी के अंतर्गत, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) ने संभाव्यता रिपोर्टें (एफआरएस) तैयार करने के लिए नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) की 30 परियोजनाओं (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। एनपीपी के अंतर्गत पहचान की गई 30 नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं में से सभी 30 परियोजनाओं की संभाव्यता पूर्व रिपोर्टें (पीएफआर) पूरी कर ली गई हैं, जबकि 24 परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्टें और 11 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) पूरी कर ली गई हैं। एनपीपी के अंतर्गत 6 नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाएं अन्य बातों के साथ-साथ बिहार राज्य को लाभान्वित करती हैं जिनका विवरण **अनुलग्नक -I में दिया गया**

**है।** एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं का विवरण और वर्तमान स्थिति **अनुलग्नक -II** में दी गई है।

नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी किसी परियोजना की आयोजना में संबंधित राज्यों के परामर्श से अध्ययन के प्रत्येक चरण में उत्तरोत्तर सुधार और संशोधन किया जाता है। तथापि, नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजना के कार्यान्वयन चरण तक पहुंचने के लिए पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है।

भारत सरकार नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम को परामर्शी ढंग से आगे बढ़ा रही है और इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पक्षकार राज्यों के बीच आवश्यक सहमति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर संगठित प्रयास किए गए हैं। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी विशेष समिति का गठन नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी एक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सितम्बर, 2014 में किया गया है। अब तक विशेष समिति की 21 बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए अप्रैल 2015 में एक कार्यबल का गठन किया गया है ताकि नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यों में तेजी लाई जा सके और अब तक टास्क फोर्स की 18 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में राज्यों का व्यापक प्रतिनिधित्व और सक्रिय भागीदारी होती है। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं का कार्यान्वयन पक्षकार राज्यों पर निर्भर करता है कि वे सर्वसम्मति पर कब पहुंचेंगे।

इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, बिहार राज्य अपने उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ प्रवण है जिसका बाढ़ प्रवण क्षेत्र 6880 लाख हेक्टेयर है। मुख्य रूप से, बिहार का उत्तरी भाग ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, जो मुख्य रूप से नेपाल में स्थित है। बिहार का दक्षिणी भाग बाढ़ के साथ-साथ सूखे की समस्याओं का सामना करता है। बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बाढ़ के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 3800 किलोमीटर लम्बी बाढ़ सुरक्षा तटबंध का निर्माण किया गया है।

**अनुलग्नक-I**

**बिहार राज्य को लाभान्वित करने वाली नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं का विवरण**

| **क्र.सं.** | **नाम** | **लाभान्वित राज्य/देश** | **वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)** | **घरेलू तथा औद्योगिक (एमसीएम)** | **जल शक्ति (मेगा वाट)** | **स्थिति** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कोसी-मेची लिंक | बिहार और नेपाल | 4.74 (2.99+1.75) | 24 | 3180 | पीएफआर पूर्ण |
| 2. | कोसी-घाघरा लिंक | बिहार, उत्तर प्रदेश (यूपी) और नेपाल | 8.35 (6.05+1.20 +1.10) | 0 | -- | एफआर पूर्ण |
| 3. | चुनार-सोन बैराज लिंक | बिहार और यूपी | 0.67 (0.13 + 0.54) | -- | -- | पीएफआर पूर्ण |
| 4. | सोन बांध - दक्षिणी की सहायक नदियाँ गंगा लिंक | बिहार और झारखंड | 3.07 (2.39 + 0.68 ) | 360 | 95(90 बांध) पीएच) और 5 (नहर पीएच) | पीएफआर पूर्ण |
| 5. | मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-छ) लिंक | असम, पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल) और बिहार | 3.41 (2.05 + 1.00 + 0.36 ) | -- | -- | एफआर पूर्ण |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एमएसटीजी का विकल्प) | असम, पश्चिम बंगाल और बिहार | 3.559 (0.975+ 1.564+ 1.02) | 265 | 360 | पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है) |

**अनुलग्नक-II**

**एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं का विवरण तथा वर्तमान स्थिति**

**प्रायद्वीपीय घटक**

| **क्र.सं.** | **नाम** | **लाभान्वित राज्य** | **स्थिति** |
|---|---|---|---|
| 1 | क) महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक | आंध्र प्रदेश और ओडिशा | एफआर पूर्ण |
| | ख) वैकल्पिक महानदी (बारमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक | आंध्र प्रदेश और ओडिशा | एफआर पूर्ण |
| 2 | गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक | आंध्र प्रदेश | एफआर पूर्ण |
| 3 | क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक | तेलंगाना | एफआर पूर्ण |
| | ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक * | तेलंगाना | डीपीआर पूर्ण |
| 4 | गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश | डीपीआर पूर्ण |
| 5 | क) कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) लिंक | आंध्र प्रदेश | एफआर पूर्ण |
| | ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक * | आंध्र प्रदेश | डीपीआर पूर्ण |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक | आंध्र प्रदेश | मसौदा डीपीआर पूर्ण |
| 7 | कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंक | आंध्र प्रदेश और कर्नाटक | मसौदा डीपीआर पूर्ण |
| 8 | क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंडएनीकट) लिंक | आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी | एफआर पूर्ण |
| | ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक * | आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी | डीपीआर पूर्ण |
| 9 | कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक | तमिलनाडु | डीपीआर पूर्ण |
| 10 | a) पार्वती-कालीसिंध - चंबल लिंक | मध्य प्रदेश एवं राजस्थान | एफआर पूर्ण |
| | ख) संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत) | मध्य प्रदेश एवं राजस्थान | मसौदा पीएफआर पूर्ण |
| 11 | दमनगंगा-पिंजाल लिंक (डीपीआर के अनुसार) | महाराष्ट्र (केवल जल मुंबई को आपूर्ति) | डीपीआर पूर्ण |
| 12 | पार-तापी-नर्मदा लिंक (डीपीआर के अनुसार) | गुजरात और महाराष्ट्र | डीपीआर पूर्ण |
| 13 | केन-बेतवा लिंक | उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश | डीपीआर पूर्ण और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है |
| 14 | पंबा - अचनकोविल - वैप्पार लिंक | तमिलनाडु और केरल | एफआर पूर्ण |
| 15 | बेदती - वरदा लिंक | कर्नाटक | डीपीआर पूर्ण |
| 16 | नेत्रवती - हेमवती लिंक ** | कर्नाटक | पीएफआर पूर्ण |

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर पूरी की गई है। गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार की गई है, जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट) कृष्णा (नागार्जुन सागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल है ।

** आगे और अध्ययन नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा येतीनहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद इस लिंक के माध्यम से नेत्रावती बेसिन में पथांतरण के लिए कोई अधिशेष जल उपलब्ध नहीं है।

**हिमालयी घटक**

| **क्र.सं.** | **लिंक का नाम** | **लाभान्वित देश/राज्य** | **स्थिति** |
|---|---|---|---|
| 1. | कोसी-मेची लिंक | बिहार और नेपाल | पीएफआर पूर्ण |
| 2. | कोसी-घाघरा लिंक | बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल | एफआर पूर्ण |
| 3. | गंडक - गंगा लिंक | उत्तर प्रदेश और नेपाल | एफआर पूर्ण (भारतीय भाग) |
| 4. | घाघरा - यमुना लिंक | उत्तर प्रदेश और नेपाल | एफआर पूर्ण (भारतीय भाग) |
| 5. | शारदा-यमुना लिंक | उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड | एफआर पूर्ण |
| 6. | यमुना-राजस्थान लिंक | हरियाणा और राजस्थान | एफआर पूर्ण |
| 7. | राजस्थान-साबरमती लिंक | राजस्थान और गुजरात | एफआर पूर्ण |
| 8. | चुनार-सोन बैराज लिंक | बिहार और उत्तर प्रदेश | पीएफआर पूर्ण |
| 9. | सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ | बिहार और झारखंड | पीएफआर पूर्ण |
| 10. | मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एसटी-जी) लिंक | असम, पश्चिम बंगाल तथा बिहार | एफआर पूर्ण |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प) | असम, पश्चिम बंगाल और बिहार | पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव छोड़ दिया गया है) |
| 12. | फरक्का-सुंदरबन लिंक | पश्चिम बंगाल | एफआर पूर्ण |
| 13. | गंगा (फरक्का)-दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक | पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड | एफआर पूर्ण |
| 14. | सुवर्णरेखा-महानदी लिंक | पश्चिम बंगाल और ओडिशा | एफआर पूर्ण |

**12 क्या सरकार उक्त बांध, जो जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों के लिए मुख्य पेयजल स्रोत है और आंशिक रूप से नागौर जिले के लिए भी पेयजल की कमी को दूर करने के लिए बाहरी सहायता के माध्यम से बीसलपुर-ब्राह्मणी नदी को बीसलपुर बांध के साथ जोड़ने का विचार रखती है, यदि हां, तो इस अंतर योजन को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। क्या सरकार पेयजल की कमी का सामना कर रहे राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के जिलों में पेयजल और सिंचाई के प्रयोजनार्थ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बाह्य सहायता के माध्यम से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को कार्यान्वित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

भारत सरकार ने जल अधिशेष वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल का अंतरण करने के लिए 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) ने एनपीपी के अंतर्गत 30 लिंकों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। राजविअ ने विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं के 49 प्रस्तावों का भी अध्ययन किया है।

एनपीपी के अंतर्गत बीसलपुर-ब्राह्मणी नदी को बीसलपुर बांध के साथ जोड़ने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही, राजस्थान राज्य सरकार से अंत:राज्यीय लिंक के अंतर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ विधिवत एकीकृत संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक के अंतर्गत बीसलपुर बांध के पूरक की

परिकल्पना की गई है, जिसे एनपीपी के अंतर्गत प्राथमिकता लिंकों में से एक के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

संशोधित पीकेसी लिंक की पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट (पीएफ़आर) का मसौदा जनवरी, 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों को परिचालित किया गया था। भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए गए सतत प्रयासों के बाद, लिंक परियोजना को कार्यान्वयन हेतु आगे बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाने हेतु राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों तथा भारत सरकार के बीच लिंक परियोजना की व्यापक आयोजना और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में अन्य बातों के साथ-साथ जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों सहित पेयजल और औद्योगिक जल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है और इसके अलावा दोनों राज्यों में 56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र या उससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने के अलावा मार्गस्थ टैंकों का अनुपूरण भी शामिल है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना से चंबल बेसिन के उपलब्ध जल संसाधनों का इष्टतम और आर्थिक रूप से उपयोग करने में मदद मिलेगी।

तथापि, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों को लिंक परियोजना के विभिन्न घटकों की डीपीआर को अंतिम रूप देना है। इसके बाद, परियोजना के कार्यान्वयन की समय अवधि, वित्त पोषण पैटर्न आदि का मूल्यांकन किया जाएगा।

*****